प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में प्रथम बार जेण्डर बजट प्रस्तुत किया गया था, तदोपरान्त प्रत्येक वर्ष बजट साहित्य के साथ जेण्डर बजट प्रकाशित किया जा रहा है। जेण्डर बजट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना तथा विकास एवं सशक्तिकरण परक योजनाओं को समन्वित रूप से आवश्यक गति प्रदान करना है।

सरकारी बजट के लिंग आधारित परिणामों को ज्ञात करने हेतु बजट का विभक्तीकरण जेण्डर बजटिंग है तथा यह लैंगिक वचन बद्धता में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। बजटीय वचनबद्धता में जेण्डर बजटिंग का उद्देश्य पृथक बजट का निर्माण न हो कर सामान्य बजट के अन्तर्गत महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सकारात्मक गतिविधियों का संचालन करना है।

इस पूरी प्रक्रिया से महिलाओं को सम्मानित करते हुये उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिलाने का पयास किया जा रहा है। महिलाओं को उनके अधिकारों क सापेक्ष समुचित हिस्सा प्राप्त हो, इसलिये पारम्परिक विभागों अर्थात् स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण इत्यादि तक सीमित न रहकर अन्य विभागों एवं क्षेत्रों में भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील बजट बनाने का प्रयास किया गया है।

जेण्डर बजट हेतु जहाँ वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये 18 विभागों के लिए ₹330.38 करोड़ की धनराशि का प्राविधान था, वित्तीय वर्ष 2008–09 में 20 विभागों के लिए ₹656.45 करोड़, वर्ष 2009–10 में 24 विभागों के लिए ₹1205. 04 करोड, वर्ष 2010–11 में 26 विभागों के लिए ₹1417.75 करोड़, वर्ष 2011–12 में 26 विभागों के लिए ₹1851.55 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया था वहीं वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस हेतु 29 विभागों का चिह्नित कर लगभग ₹2227.67 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जो वर्ष 2007–08 की तुलना में लगभग 574.27 प्रतिशत अधिक है। यद्यपि यह प्रयास विभागों की जागरूकता का द्योतक है परन्तु उत्तराखण्ड में बालिकाओं की निरन्तर घटती हुई

आबादी गम्भीर चिंतन का विषय है। सन् 2011 की जनगणना के अनन्तिम आकड़ों के अनुसार बालक–बालिका अनुपात 1000:963 है, जो सामाजिक मानसिकता का परिचायक है, जिसे सुधारने की आवश्यक्ता है।

जैण्डर बजटिंग का तात्पर्य :–

- सरकारी बजट के लिंग आधारित परिणामों को ज्ञात करने हेतु बजट का विभक्तीकरण जेण्डर बजटिंग है तथा यह लैंगिक बचनबद्धता को बजटीय बचनबद्धता में परिवर्तित करने की प्रकिया है।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन आदि क्षेत्रों में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार सरकारी बजट सुनिश्चित करते हैं, इसका जेण्डर दृष्टिकोण से आंकलन जेण्डर बजटिंग के अन्तर्गत किया जाता है।
- जेण्डर बजटिंग का उद्देश्य पृथक बजट का निर्माण न होकर सामान्य बजट के अन्तर्गत महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सकारात्मक गतिविधियों का संचालन करना है।

जेण्डर बजटिंग की आवश्यकताः–

- राज्य सरकार का बजट, घोषित नीतियों के प्रति सरकार की वचनबद्धता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचक होता है तथा बजट यह दर्शाता है कि जनता की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार किस प्रकार संसाधनों का आवंटन करता है। चूंकि संसाधनों के आवंटन तथा विभिन्न सैक्टरों के मध्य प्राथमिकतायें समाज के विभिन्न वर्गों को पृथक–पथक ढग से प्रभावित करती हैं, अतः जेण्डर बजटिंग की आवश्यकता हुई।
- जेण्डर समानता के उद्देश्य की पूर्ति में सरकारी बजटीय नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं हेतु संसाधनों के आवंटन की मात्राकरण एवं पर्याप्तता का आंकलन जेण्डर बजटिंग के माध्यम से किया जाता है।

जेण्डर बजट के अन्तर्गत विभागीय योजनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, शत–प्रतिशात महिलाओं हेतु बजट निर्धारण करने वाली योजनाओं को श्रेणी–I तथा 30 प्रतिशत एवं अधिक बजट महिलाओं हेतु निर्धारण करने वाली योजनाओं को श्रेणी–II में रखा गया है। महिला घटक योजना एवं जेण्डर बजटिंग दोनों अवधारणाओं के समन्वय पर कार्यवाही की जायेगी ताकि

महिलाओं को उनके अधिकारों के सापेक्ष समुचित हिस्सा प्राप्त हो। भविष्य में जेण्डर बजट बनाते समय केवल पारम्परिक विभागों अर्थात् स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण इत्यादि तक सीमित न रहकर अन्य विभागों एवं क्षेत्रों में भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील बजट बनाने की आवश्यकता है। अन्ततः इस पूरी प्रक्रिया से प्रदेश में नारी शक्ति को सम्मानित करते हुये अवसर की समानता तथा समता स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल ह। जेण्डर बजट का उद्देश्य सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली को आधी आबादी के प्रति संवेदनशील बनाते हुए लकीर से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करना भी है।

✧✧✧